

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 4999/2025

रामवृक्ष

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यार्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चंद्र प्रकाश मिश्रा, प्रकाश शर्मा

प्रत्यार्थी के अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ किया है:-

"I. एक रिट आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जिसमें प्रत्यार्थी संख्या-3 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद कुशीनगर को पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 29.7.2020, जो वाद संख्या-724/2020 (भगेलू बनाम रामावतार एवं अन्य) में यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण संख्या-195/250/1985 (भगेलू रामावतार एवं अन्य) से उत्पन्न है, जो ग्राम चैती मुसहरी, टप्पा-बासी चिरगोड़ा, परगना-सिधुआ जोबना, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर से संबंधित है, को निर्धारित अवधि के भीतर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त पुनर्स्थापन आवेदन 29.07.2020 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) (प्रत्यार्थी संख्या 3), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः पाँच महीने की अवधि के भीतर इसे तेजी से तय करें।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कपूर्ण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026